



सत्यमेव जयते

भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण

(सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार)

National Highways Authority of India

(Ministry of Road Transport and Highways, Government of India)

जी-5 एवं 6, सेक्टर-10, द्वारका, नई दिल्ली - 110 075 • G-5 & 6, Sector-10, Dwarka, New Delhi-110075

दूरभाष/Phone : 91-11-25074100 / 25074200



भाराराप्रा/ नीति दिशानिर्देश /व्यावसायिक प्रचालन/ 2026 नीति परिपत्र सं. 17.6.12/2026 दिनांक 05th जून, 2026

{(ई-ऑफिस फाइल सं. भाराराप्रा/ पीआईयू-धुले/एनएच-3/टोल/शुल्क संशोधन/2024/487 (कम्प्यूटर सं.243797 पर लिया गया निर्णय)}

NHAI/ Policy Guidelines/Commercial Operation/2026 Policy Circular No.17.6.12/2026 dated 05th June, 2026

{(Decision taken on E-Office File No. NHAI/ PIU-Dhule/ NH-3/ Toll/FeeRevision/2024/487 (Comp No. 243797)}

विषय: 01.04.2024 से 02.06.2024 (63 दिन) की अवधि के लिए वार्षिक प्रयोक्ता शुल्क संशोधन (रोल बैक) के स्थगन के कारण कंसेसनेयर को राहत प्रदान करने संबंधी शक्तियों का प्रत्यायोजन।

Sub.: Delegation of Powers regarding Grant of Relief to Concessionaires on account of Deferment of Annual User Fee Revision (Roll Back) for the Period from 01.04.2024 to 02.06.2024 (63 days).

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने दिनांक 19.12.2025 के परिपत्र सं. एच-25011/08/2024- टोल पार्ट(I) (ई-254255) के माध्यम से कंसेसनेयर को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए एक प्रणाली तैयार किया है। यह नुकसान, भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू रहने के दौरान जारी निर्देशों के कारण वार्षिक प्रयोक्ता शुल्क संशोधन को स्थगित किए जाने के कारण हुआ था। M

Ministry of Road Transport & Highways (MoRT&H), vide Circular No. H-25011/08/2024-TOLL Part (I) (E-254255) dated 19.12.2025 has issued a mechanism for compensation of revenue loss to Concessionaires arising due to deferment of Annual User Fee Revision on account of directions issued during enforcement of Model Code of Conduct by Election Commission of India.

2. उक्त परिपत्र में यह प्रावधान है कि कंसेसनेयर को राहत किसी प्रत्यक्ष वित्तीय मुआवजे के बजाय, प्रभावित अवधि के दौरान हुए सत्यापित राजस्व नुकसान के बराबर रियायत अवधि के विस्तार के द्वारा दी जाएगी।

The said Circular provides that the relief to the Concessionaire shall be granted by way of extension of Concession Period equivalent to the verified revenue loss suffered during the affected period, instead of any direct financial compensation.

3. ऐसे मामलों में एकरूपता और त्वरित निपटान सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सक्षम प्राधिकारी द्वारा सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के दिनांक 19.12. के पूर्वोक्त 2025परिपत्र के कार्यान्वयन हेतु शक्तियों के निम्नलिखित प्रत्यायोजन को अनुमोदित किया गया है।

In order to ensure uniformity and expeditious disposal of such cases, the Competent Authority has approved the following delegation of Powers for implementation of the aforesaid MoRT&H Circular dated 19.12.2025.

Contd.....2/-

4. संबंधित क्षेत्रीय अधिकारी सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 19.12.2025 के अनुसार रियायत अवधि के विस्तार के माध्यम से कंसेसनेयर को राहत देने की मंजूरी के लिए सक्षम प्राधिकारी होंगे, जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन हैं:

The Regional Officer concerned shall be the Competent Authority for approval of Grant of Relief to Concessionaires through extension of Concession Period in accordance with MoRT&H Circular dated 19.12.2025 subject to the following conditions:

- (i) यह प्रस्ताव पूरी तरह से केवल वार्षिक प्रयोक्ता शुल्क संशोधन के स्थगन से संबंधित होगा, जो भारतीय निर्वाचन आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता के प्रवर्तन के संबंध में जारी निर्देशों के कारण उत्पन्न हुआ है।
The proposal shall strictly pertain only to Deferment of Annual User Fee Revision arising due to directions issued in connection with enforcement of Model Code of Conduct by Election Commission of India.
- (ii) राजस्व हानि की गणना का विधिवत सत्यापन और प्रमाणीकरण स्वतंत्र इंजीनियर और परियोजना निदेशक द्वारा किया जाएगा।
The calculation of revenue loss shall be duly verified and certified by the Independent Engineer and Project Director.
- (iii) यातायात और राजस्व डेटा का टोल प्रबंधन प्रणाली (टीएमएस) डेटा के साथ मिलान किया जाएगा और जहां भी लागू हो, आईएचएमसीएल/प्राप्त बैंक डेटा के साथ पुष्टि की जाएगी।
The traffic and revenue data shall be reconciled with Toll Management System (TMS) data and corroborated wherever applicable with IHMCL/Acquiring Bank data.
- (iv) सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के परिपत्र दिनांक 19.12.2025 में बताई गई कार्यप्रणाली का पूरी तरह पालन किया जाएगा।
The Methodology prescribed in MoRT&H Circular dated 19.12.2025 shall be followed in toto.
- (v) यह राहत केवल उन संविदाओं के लिए 'रियायत अवधि के विस्तार' (दिन:घंटे:मिनट) के रूप में दी जाएगी जो अभी भी सक्रिय हैं, और उन संविदाओं के लिए राजस्व के रूप में दी जाएगी जिनकी रियायत अवधि पहले ही पूरी हो चुकी है।
The relief shall only be granted in the form of extension of Concession Period (Days:Hours:Minutes) for the contract still live and in terms of revenue for the contracts whose concession period is already completed.

5. क्षेत्रीय अधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इन शक्तियों के तहत अनुमोदित रियायत अवधि के विस्तार को उचित रूप से दर्ज किया जाए और रियायत करार के तहत जहाँ भी आवश्यक हो, आवश्यक संशोधनपुष्टिकरण जारी किया जाए/; जिसमें निपटान करार पर हस्ताक्षर करना भी शामिल है, और यह सब उचित जांचपड़ताल के बाद किया जाए।-

The Regional Officer shall ensure that the extension of Concession Period approved under these Powers is appropriately recorded and necessary amendment/confirmation, wherever required under the Concession Agreement is issued after due vetting including signing of Settlement Agreement.

Contd....3/-



6. प्रत्यायोजित शक्तियों के तहत दिए गए सभी ऐसे अनुमोदनों के विवरण वाली अनुपालन रिपोर्ट संबंधित आरओ द्वारा तकनीकी प्रभाग और सीओ प्रभाग, भाराराप्रा, मुख्यालय को 30 जून 2026 तक भेजी जाएगी।

A Compliance Report containing details of all such approvals granted under delegated powers shall be forwarded by the concerned RO to Technical Division & CO Division, NHAI HQ latest by 30th June 2026.

7. यह सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से जारी किया जाता है।
This issues with the approval of Competent Authority.

Handwritten signature in blue ink, followed by the date 05/06/26.

(सीएस. संजय कुमार पटेल/ CS. Sanjay Kumar Patel)

प्रभारी मुख्य महाप्रबंधक(समन्वय) (i/c) Chief General Manager (Coord.)

प्रति/ To:

भाराराप्रा मुख्यालय/आरओ/पीआईयू/सीएमयू/साइट कार्यालयों के सभी अधिकारी।
All Officers of NHAI HQ/ ROs/ PIUs/ CMUs/ Site Offices.

प्रतिलिपि/ Copy to:

1. पुस्तकालय की साइट पर प्रकाशन के लिए पुस्तकालय को।
Library for hosting the Circular on Library site.
2. परिचालन के लिए वेब एडमिन को।
Web Admin for Circulation.
3. सचिव, सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय के प्रधान निजी सचिव को सूचनार्थ।
PPS to Secretary, MoRT&H for Kind Information.